प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : मा01/1652-1659/13–14 दिनांक – 11-6-13

**विषय :सेन्ट्रल वैली सेकेण्डरी स्कूल रेचकारी लालगंज, मीरजापुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14–07–2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूवर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के स्थान पर संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश के अनुसार **जनपद मीरजापुर** में स्थित संस्था **सेन्ट्रल वैली सेकेण्डरी स्कूल रेचकारी लालगंज, मीरजापुर** के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने से समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाय।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनभानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

क्रमशः........2

6— कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7— राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9— उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

10— शर्तो की प्रतिपूर्ति हेतु 06 माह पश्चात पुनः निरीक्षण किया जायेगा। यदि शर्तो की पूर्ति नहीं पायी जाती है, तो समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित करने पर विचार करेंगी।

11— अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात विद्यालय को परिषद से मान्यता प्राप्त होने अथवा न होने की स्थिति से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पलन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती एस0 सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल
मीरजापुर

पृ0सं0 मा0--1/1052-1059/2013--14 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर।
5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. सेन्ट्रल वैली सेकेण्डरी स्कूल रेचकारी लालगंज, मीरजापुर।
7. गार्ड फाइल।

(श्रीमती एस0 सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल
मीरजापुर